न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 9/2018 (225 आरटीए) सायरे खां वगै. बनाम सोमे खां वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00001)

1 सायरे खां पुत्र अमीन खां,
2 नूरे खां पुत्र लादू खां,
3 पांधी पुत्र अमीन खां,
4 छोटू खां पुत्र अमीन खां

सभी जातियान मुसलमान निवासी सूर्य उदयनगर, सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट्स

बनाम

1 सोमे खां पुत्र हकीम खां,
2 आदम खां पुत्र हकीम खां,
3 जबर खां पुत्र हकीम खां,
4 कमें खां पुत्र हकीम खां,
5 गफूर खां पुत्र हकीम खां,
6 सकूर खां पुत्र हकीम खां,
7 शेरे खां पुत्र फजरू खां,
8 नीजू खां पुत्र मेहताब खां,
9 हनीफ खां पुत्र मेहताब खां,
10 जानू खां पुत्र मेमूद खां,
11 जोसब खां पुत्र मेमूद खां,
12 कोजू खां पुत्र ईसू खां,
13 रईस खां पुत्र ईसु खां,
14 सरीफ खां पुत्र ईसु खां,
15 बरकत खां पुत्र ईसु खां,
16 गोपे खां पुत्र ईसु खां नाबिलग जरिए कुदरती वलिया माता बिस्मिला,
17 हैदर खां पुत्र ईसु खां नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता बिस्मिला,
18 बगसु खां पुत्र ईसु खां नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता बिस्मिला,
19 अमेद खां पुत्र ईसु खां नाबालिग जरिए कुदरती वलिया माता बिस्मिला,
20 बिस्मिला पत्नी ईसु खां,
21 गनी खां पुत्र मेदू खां (फोत), के कायम मुकाम
21/1 नूरे खां पुत्र गनी खां
21/2 सद्दाम खां पुत्र गनी खां
21/3 नसिबो पुत्री गनी खां
21/4 उका पुत्री गनी खां

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

21/5 हुसीना पुत्री गनी खां
21/6 नेमु पत्नी गनी खां
22 सदीक खां पुत्र अलारख खां (फोत), के कायम मुकाम
22/1 बाबू खां पुत्र सदीक खां
22/2 राजू खां पुत्र सदीक खां
22/3 गुडी पुत्री सदीक खां
22/4 ठमा पुत्री सदीक खां
22/5 डेनू पुत्री सदीक खां
22/6 मखणी पत्नी सदीक खां
23 इदु खां पुत्र अलारख खां,
24 अयूब खां पुत्र अलारख खां
सभी जातियान मुसलमान निवासी सूर्य उदयनगर, सोलंकिया तला, तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़
दिनांक 17.01.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12/2017

उपस्थित :
1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रुघाराम चौधरी।
2 रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12/2017 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट्स की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 12/2017 पेश कर निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स ग्राम सूर्य उदयनगर सोलंकियातला के निवासी हैं एवं ग्राम सूर्य उदयनगर सोलंकियातला के खसरा नं. 234 रकबा 71 बीघा खसरा सं. 235 रकबा 4 बिस्वा, खसरा सं. 236 रकबा 46 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 225 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा खसरा नं. 425/1 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा स्थित है जिसमें रेस्पोडेंट्स की रहवासीय ढाणियां व टांके बने हुए हैं। उक्त ढाणियों में आने जाने के लिए

खसरा सं. 437 रकबा 102 बीघा 4 बिस्वा में से रास्ते की मांग की खसरा सं. 437 अपीलांट्स की खातेदारी कृषि भूमि है। रेस्पोडेंट्स ने प्रार्थना पत्र के अंत में निवेदन किया कि खसरा नं. 437 में से ए से बी भाग रास्ता दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को जरिए सम्मन तलब करने का आदेश पारित किया लेकिन अपीलांट्स को नोटिस जारी किए गए जो प्राप्त नहीं हुए तथा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण ने इस न्यायाालय में उपस्थित होकर अवगत कराया कि उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया हैं एवं राजीनामा इस न्यायालय के समक्ष पेश किया। उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण ने प्रकरण में बहस सुनाते हुए मुताबिक राजीनामा अपील स्वीकार करने एवं तदनुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4 उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा इस प्रकार है कि दोनों पक्षकरान के मध्य आपसी समझाइस एवं लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है जिसके तहत अपीलांट्स अपनी खातेदारी की भूमि खसरा सं. 437 में से इस राजीनामें के साथ पूर्व में जो नजरी नक्शे में जो रास्ता मार्क किया है जिसकी चौड़ाई 20 फीट होगी, उक्त रास्ता दोनों पक्षकारान की सहमति से देना तय हुआ है माफिक राजीनामा उक्त रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा दिया जावे उक्त रास्ते की जमीन का मुआवजा अपीलांट्स को दिलाया जावे। नजरिया नक्शा ए, बी, सी, डी तक सायरे खां व छोटू खां पुत्र अमीन खां की ढाणी तक रास्ता दिया गया है इस प्रार्थना पत्र में पांधी खां, छोटू खां व सायरे खां पुत्र अमीन खां की खातेदारी खेत खसरा नं. 437 में से सहमति दी गई है जिसको राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने की सहमति दी जाती है।

5 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 437 के माठ–माठ मार्क ए से ई दर्शित रास्ता कायम करने के आदेश जारी किए थे तथा राशि 14,250 रु. अप्रार्थीगण को अदा करने के भी आदेश दिए गए थे। परंतु अब पक्षकारान के मध्य उपरोक्तानुसार यह समझौता हुआ है कि फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित ए–बी–सी–ई रास्ते को तो मुआवजे के आधार पर कायम किया जावे एवं बिंदु बी से डी तक का 20 फुट का चौड़ा रास्ता अपीलांट्स की ढाणी तक व उनकी ही खातेदारी में से कायम कर दिया जावे जिसके लिए कोई मुआवजा देय नहीं है क्योंकि यह अपीलांट्स/अप्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि खसरा नं. 437 में में ही कायम किया जावेगा इस पर उभयपक्षकारान सहमत हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस एवं उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द मोका दिनांक 28.07.2017 के मुताबिक बिंदु ए–बी–सी–ई तक 20 फुट का रास्ता कायम करने एवं अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को 14250/– मुआवजा प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स से दिलाने का आदेश पारित किया था। इस न्यायालय में उक्त आदेश की अपील प्रस्तुत होने पर उभय पक्षकारान के मध्य यह समझौता हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम उक्त रास्ते के अतिरिक्त बिंदु बी से डी तक भी 20 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे ताकि अप्रार्थीगण /अपीलांट्स को भी रास्ता उपलब्ध हो सके। इस प्रकार उभयपक्षकारान के मध्य राजीनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संशोधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

9 अतः अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2018 को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि फर्द मोका दिनांक 28.07.2017 में अंकित नजरी नक्शे में खसरा नं. 437 में बिंदु बी से डी तक भी 20 फुट चौड़ा रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे। बिंदु बी से डी तक के रास्ते के लिए कोई मुआवजा देय नहीं हैं। शेष आदेश यथावत रहेगा।

16/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/7/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर